भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4143
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति

4143. श्री माथेश्वरन वी. एस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार की योजना उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन लाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ख) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कितनी सिफारिशें एक वर्ष से अधिक समय से सरकार के पास लंबित हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जिसमें किसी भी जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 28 अक्तूबर 1998 (तृतीय न्यायाधीश मामला) की उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी राय के साथ पठित 6 अक्तूबर 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में निर्धारित की गई है । एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को आरंभ करने का अधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिक्त पद को भरने के लिए रिक्त पद होने से छह (06) महीने पहले प्रस्ताव आरंभ करें। उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए सभी नाम सरकार के विचारों के साथ उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को सलाह के लिए भेजे जाते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिन्हें एससीसी द्वारा सिफारिश किया जाता है।

संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए ताकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके।

16.12.2024 तक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए 32 प्रस्ताव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

******